



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275954
CG-DL-E-03092026-275954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4660]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4660]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2026

का.आ. 4847(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग-03 (एनएच-03) पर तंगलांग ला दर्रे के आर-पार राजमार्ग सुरंग तथा उसके पहुँच मार्गों के निर्माण हेतु, विद्यमान चैनज किलोमीटर 350.1 से किलोमीटर 382.4 (डिज़ाइन चैनज 0+000 से 11+421) तक के मध्य स्थित भूमि के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग-03 पर तंगलांग ला दर्रे से होकर गुज़रने वाली हाईवे सुरंग के लिए भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप प्रभागीय न्यायाधीश, खारू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH3 के कि.मी 350.1 से कि.मी 364 तक	लद्दाख	लेह	खारू	1 ग्या
2	उप प्रभागीय न्यायाधीश, खारू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH3 के कि.मी 364 से कि.मी 382.4 तक	लद्दाख	चांगथांग	न्योमा	1 समद रोकचन 2 खरनक

[फा. सं. LAC-52(G)Rev/2023(803)]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2026

S.O. 4847(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Highway Tunnel across Tanglang La pass including approaches on NH-3, between existing Chainage Km. 350.1 to Km 382.4 (Design Chainage 0+000 to 11+421) in UT of Ladakh .

SCHEDULE**Land Acquisition for the Highway Tunnel Across Tanglang La Pass on NH-3 in the Union Territory of Ladakh.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Sub Divisional Magistrate, Kharu	NH3 KM 350.1 TO KM 364	Ladakh	Leh	Kharu	1	Gya
2	Sub Divisional Magistrate, Kharu	NH3 KM 364 TO KM 382.4	Ladakh	Changthang	Nyoma	1	Samad Rockchan
						2	Kharnak

[F. No. LAC-52(G)Rev/2023(803)]

SHAIKH AMINKHAN, Director